"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 675] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 अगस्त 2025 — भाद्र 3, शक 1947

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

अधिसूचना

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 अगस्त 2025

क्रमांक LAND/498/2025-HOUSING/32. — राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :–

नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में उपांतरण

स. क्र.	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हे.मे)	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में भू–उपयोग	अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण
1	खपरी	329 का भाग	48.61 में से 0.658573	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
2	खपरी	330 का भाग	2.74 में से 0.378828	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
3	खपरी	353 का भाग	14.64 में से 6.153393	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
4	खपरी	385 का भाग	0.65 में से 0.026568	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
5	खपरी	386 का भाग	0.24 में से 0.216371	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
6	खपरी	387	0.08	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
7	खपरी	388	0.08	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
8	खपरी	389	0.23	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
9	खपरी	390	0.12	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
10	खपरी	391/1 ,2	0.77	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
11	खपरी	392 का भाग	0.25 में से 0.201059	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक

12	खपरी	393 का भाग	0.23 में से 0.189691	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
13	खपरी	400 का भाग	0.45 में से 0.092752	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
14	खपरी	401	0.23	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
15	खपरी	402 का भाग	0.88 में से 0.520519	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
16	खपरी	405 का भाग	1.11 में से 0.882694	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
17	खपरी	406	0.09	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
18	खपरी	407	0.26	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
19	खपरी	408	0.43	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
20	खपरी	409	0.15	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
21	खपरी	410	0.25	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
22	खपरी	411 का भाग	1.05 में से 0.703063	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
23	खपरी	412 का भाग	0.44 में से 0.433893	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
24	खपरी	413 का भाग	0.34 में से 0.005979	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
25	खपरी	416 का भाग	0.83 में से 0.052982	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
26	खपरी	417	0.97	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
27	खपरी	418	0.38	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
28	खपरी	419 का भाग	0.62 में से 0.374419	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक
29	खपरी	421 का भाग	0.24 में से 0.104778	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक

2/ उक्त उपांतरण नवा रायपुर अटल नगर में सेक्टर 37 के भूखण्ड को आवासीय से सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक किये जाने हेतु।

3/ सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

4/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र भारद्वाज, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.